रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 1974/माघ 10, 1895

No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1974/MAGHA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January 1974

S.O. 74(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O.719(E), dated the 29th November, 1973 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972), declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Notification to which the textile undertaking known as Gaya Cotton and Jute Mills Ltd., Gaya (Bihar) (hereinafter referred to as the said textile undertaking) or the company owning the said undertaking is a party or which may be applicable to the said textile undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from

such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities (except those relating to banks and financial institutions) accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that in rellation to the said textile undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972 (72 of 1972), and in continuation of the said notification, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this notification and relating to banks and financial institutions, to which the said textile undertaking or the company owning such undertaking is a party or which may be applicable to the said textile undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 28013/112/73-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1974

का० आ० 74 (अ)—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 719 (ई) तारीख 29 नवम्बर, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया है कि उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्त्तन, जिनका गया काटन एण्ड जूट मिल्स लिमिटेड, गया (बिहार) नामक वस्त्र-उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वस्त्र उपक्रम कहा गया है) या उक्त उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त वस्त्र उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध हैं, उनसे भिन्न) उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त वस्त्र उपक्रम के सम्बन्ध में वस्त्र-उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 72) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना के क्रम में, घोषित करती है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध सभी संविदाओं, सम्पत्ति-हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिनकी उक्त वस्त्र उपक्रम या ऐसे उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार हैं या जो उक्त वस्त्र उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और कि उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे ।

[सं० फा० 28013/112/73-एन टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974